



राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
6 सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ 226001
फोन: 91-0522-2239428, 4033444
website- www.swsmap.org



विभागीय वाहन नीलामी सूचना

मोहर बन्द निविदायें एक एम्बेसेडर कार (पेट्रोल) वर्ष 2000 की नीलामी हेतु अन्तिम नियत तिथि 27.08.2013 के अपरान्ह 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदादाता को वाहन देखने की सुविधा कार्यालय परिसर में "जहाँ है, जैसी स्थिति है" कार्य दिवस में उपलब्ध रहेगी। नीलामी हेतु निर्धारित प्रस्ताव प्रारूप पत्र, नियम एवं शर्तें जो कार्यालय की वेबसाइट **website- www.swsmap.org** पर उपलब्ध है के साथ रु0 5000/- (रुपये पाँच हजार मात्र) डी0डी0/पेआर्डर के साथ इस कार्यालय के कार्यदिवस में (समय प्रातः 11:00 बजे से सायं 5:30 बजे तक) जमा किया जायेगा जो दिनांक 27.08.2013 को अपरान्ह 3.30 बजे खोली जायेगी।

अधिशायी निदेशक

संख्या :

प्रस्ताव पत्र

मुहरबन्द लिफाफे में।

सेवा में,

अधिशायी निदेशक
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

दिनांक :

संदर्भ: समाचार पत्र.....विज्ञापन में.....प्रकाशन संख्या.....
दिनांक.....

महोदय,

1. कृपया उपरोक्त वाहन विक्रय सूचना के सन्दर्भ में मैंने वाहन क्रय करने हेतु रु0 5000/- की जमानत धनराशि ड्राफ्ट/पेयआर्डर संख्या.....दिनांक..... कार्यालय में जमा कर दिया है।
2. मैं वाहन संख्या यू0पी0 32 ए0एफ0 5853 एम्बेसेडर कार (पेट्रोल) वर्ष 2000 हेतु (अंको में) रु0(शब्दों में) रु0 का प्रस्ताव दे रहा हूँ।
3. इस प्रस्ताव पत्र के साथ संलग्न समस्त नियम/शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरान्त भरा गया है जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जा रहा है।
4. प्रस्तावित राशि के अतिरिक्त नियमानुसार पड़ने वाला जो भी शासकीय कर होगा, की राशि अलग से मेरे द्वारा दी जायेगी।

कृपया अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

दिनांक.....
संलग्न नियम शर्तें

भवदीय,

(प्रस्ताव भरने वाले के हस्ताक्षर,
स्पष्ट नाम व पूरा पता)

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

वाहन के विक्रय के सम्बन्ध में आवश्यक नियम/शर्तें :-

1. प्रस्ताव अस्वीकृत होने की दशा में जमानत धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी।
2. प्रस्ताव स्वीकृति की दशा में जमानत धनराशि बिना ब्याज के समायोजित कर ली जायेगी।
3. आपके द्वारा भरे गये प्रस्ताव पर नियमानुसार जो भी कर लगेंगे वह अतिरिक्त देय होंगे।
4. प्रस्ताव स्वीकृत होने की दशा में निर्धारित तिथि तक बकाया धनराशि जमा न करने पर जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
5. आवेदक यदि चाहे तो किसी कार्यदिवस में (समय प्रातः 11:00 बजे से सायं 5:30 बजे तक) आकर कार्यालय 6, सरोजनी नायडू मार्ग स्थल पर देख सकते हैं।
6. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह किसी एक या समस्त प्रस्ताव को बिना किसी कारण बताये निरस्त कर सकता है।
7. वाहन जहां है, जैसी स्थिति में है तथा जब तक रोड टैक्स जमा है, के आधार पर विक्रय किया जाना है, इसलिए वाहन हस्तान्तरण के समय किसी प्रकार की आपत्ति मान्य न होगी।
8. वाहन हस्तान्तरण हेतु आवश्यक कार्यवाही एवं व्यय क्रयकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा।

(अधिशासी निदेशक)

.....
(प्रस्ताव भरने वाले के हस्ताक्षर एवं नाम पता सहित)